

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी, 2018-माघ 6, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (Indore) Ltd.

दिनांक 19 जनवरी, 2018

प्रारूप-2

[नियम-9(2)]

विकास स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

क्र.853.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-9(2) के प्रावधानों अन्तर्गत निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम (पीथमपुर) का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:-

1. कार्यालय आयुक्त, संभाग, इन्दौर (म.प्र.).
2. कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.).
3. कार्यालय कलेक्टर, जिला धार (म.प्र.).
4. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर (म.प्र.).

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हों, विचार किया जाएगा.

कुमार पुरुषोत्तम,
प्रबंध संचालक.

(685-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, नीलेन्द्र कुमार नायर (Neelendra Kumar Nair), निवासी बी-43, प्रकाश नगर कॉलोनी, एमपीपीजीसीएल, बिरसिंहपुर घोषणा करता हूँ कि अब मुझे नीलेन्द्र कुमार नायर (Nilendra Kumar Nair) नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नीलेन्द्र कुमार नायर)
(Neelendra Kumar Nair)

(665-B.)

नया नाम :

(नीलेन्द्र कुमार नायर)
(Nilendra Kumar Nair)
Perm. Add :- A-50, Shri Rameshwaram,
Baghmugaliya, Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

वर्तमान में मेरा नाम बन्टी कुमार साहू पिता श्री मोहनलाल साहू है जो कि मेरे समस्त सरकारी व गैर सरकारी एवं अंकसूची में भी अंकित है। मैं अपना नाम बदलकर अजय साहू पिता श्री मोहनलाल साहू कर रहा हूँ भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(बन्टी कुमार साहू)

(666-बी.)

नया नाम :

(अजय साहू)

निवासी-1224-A, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोंद,
भोपाल (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मैं, वैभव पिता विजय गड़ेकर, उम्र 33 साल, जाति जैन, वार्ड नं. 10 सौसर, जिला छिन्दवाड़ा का निवासी हूँ। मेरे सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय-पत्र, शालेय अभिलेख, मूल निवासी आदि में मेरा नाम वैभव पिता विजय जैन अंकित है। जबकि मेरा उपनाम (सरनेम) गड़ेकर है तथा जाति जैन है। मेरे दस्तावेजों में उपनाम के स्थान पर जाति जैन अंकित है। मेरा वास्तविक व सही उपनाम गड़ेकर है तथा इसी नाम से जाना पहचाना जाता हूँ। वैभव जैन, वैभव गड़ेकर एवं वैभव जैन गड़ेकर यह तीनों नाम एक ही व्यक्ति है। अतः भविष्य में मुझे वैभव गड़ेकर के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(वैभव)

(684-बी.)

नया नाम :

(वैभव गड़ेकर)

पिता विजय जैन,
वार्ड नं. 10, सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मेरा विवाह पूर्व नाम आशा चांदवानी पुत्री श्री फतेहचंद चांदवानी था जो कि विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती लवीना मनशानी पत्नी श्री नरेश मनशानी हो गया है अतः अब मुझे लवीना मनशानी के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(आशा चांदवानी)

(667-बी.)

नया नाम :

(लवीना मनशानी)

म. नं. 5, साईं रेसीडेन्सी सागर केम्पस के पास,
चूनाभट्टी, भोपाल (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पूर्व में अपना नाम "नरेन्द्र सिंह राजपूत" पुत्र श्री नबाव सिंह लिखता था। मेरे शिक्षण से सम्बन्धित दस्तावेजों में भी यही नाम लिखा हुआ है। मेरी जाति "किरार" है। जिसके कारण सामाजिक तौर पर लोग मुझे "नरेन्द्र सिंह किरार" के नाम से भी जानते और पहचानते हैं एवम् पश्चायवर्ती दस्तावेज इसी नाम से हैं। उक्त संदर्भ में यह अधिसूचना जारी की जाती है। सर्व-साधारण सूचित हों।

पुराना नाम :

(नरेन्द्र सिंह राजपूत)

(668-बी.)

नया नाम :

(नरेन्द्र सिंह किरार)

पुत्र स्व. श्री नबाव सिंह,
कोटा वाला मोहल्ला, लोहा मण्डी,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व में मेरा नाम अनीता जैन पुत्री श्री सीताराम जैन था, शादी के पश्चात् मेरा नाम अनीता अग्रवाल पत्नी श्री गिर्राज अग्रवाल हो गया है इसी नाम से मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, लेकिन मेरे पुत्र रजत अग्रवाल के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा गलत नाम पूजा अग्रवाल त्रुटिवश दर्ज हो गया है इसलिये मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम अनीता अग्रवाल दर्ज किया जावे और आगे से पढ़ा जावे

पुराना नाम :

(पूजा अग्रवाल)

(669-बी.)

नया नाम :

(अनीता अग्रवाल)

पत्नी श्री गिर्राज अग्रवाल,
पुत्री श्री सीताराम जैन,
निवासी गीता कॉलोनी, दाल बाजार,
लशकर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्वविदित है कि मैं, अक्षय कुमार चौधरी पुत्र श्री हरगोविन्द सिंह चौधरी शपथ करता हूँ मेरे आधार कार्ड 406967099345 पेन कार्ड एवं ग्रेजुएशन की मूल अंकसूची में मेरा नाम अक्षय चौधरी पुत्र श्री हरगोविन्द सिंह त्रुटिवश दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम अक्षय कुमार चौधरी है और भविष्य में मुझे अक्षय कुमार चौधरी के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है, और आगे भी पहचाना जावे। अक्षय कुमार चौधरी एवं अक्षय चौधरी एक ही व्यक्ति के नाम है।

पुराना नाम :

(अक्षय चौधरी)

पुत्र श्री हरगोविन्द सिंह.

नया नाम :

(अक्षय कुमार चौधरी)

पुत्र श्री हरगोविन्द सिंह चौधरी,
निवासी-वार्ड क्र. 6, पतारा मोहल्ला, दबोह,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(670-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम भंवर लाल था। जिसे बदलकर भवर सिंह डोडिया कर लिया है, मुझे मेरे समस्त दस्तावेजों में भवर सिंह डोडिया नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(भंवर लाल)

नया नाम :

(भवर सिंह डोडिया)

EWS/193, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
नागदा, उज्जैन (म.प्र.).

(682-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम रेखा चौहान था, जिसे शादी के बाद बदलकर रितिका राठौर कर लिया है, अतः अब से मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नया नाम रितिका राठौर ही लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(रेखा चौहान)

नया नाम :

(रितिका राठौर)

पत्नी राजू राठौर,
12, शांती नगर, एम. आर.-9,
मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(683-बी.)

जाहिर सूचना

This is to inform that the firm "M/s NAKODA DEVELOPERS" (Reg. No. 07/35/01/0027/16, Date 15-07-2016, 205, Tirupati Nagar, Mandsaur (M.P.). has retired Mrs. Vimla W/o Prakash Chand Dosi w.e.f. 22-03-2017 as per Indian partnership Act, 1932.

Nakoda Developers,
JAMNA BAFNA,
(Partner).

(671-B.)

आम सूचना

यह कि मेसर्स छबीलदास चुन्नीलाल 20-21, यशवंत कॉलोनी, इन्दौर, अनुक्रमांक आयएफ/106/2003-04, दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को पंजीबद्ध होकर निम्नलिखित भागीदार हैं:-

(1) श्रीमती कौशल्यादेवी पति श्री चुन्नीलाल जी भाटिया, इन्दौर.

(2) श्रीमती शशि रानी पति श्री सुनीलकुमार जी भाटिया, इन्दौर.

दिनांक 17 मई, 2016 को श्रीमती कौशल्यादेवी पति श्री चुन्नीलाल भाटिया, स्वर्गवास होने से भागीदारी से पृथक् हो गई हैं तथा श्री चिरायु भाटिया पिता श्री सुनील कुमार भाटिया उक्त दिनांक से भागीदारी में शामिल हो गए हैं।

इस प्रकार दिनांक 17 मई, 2016 से भागीदारी फर्म मेसर्स छबीलदास चुन्नीलाल, इन्दौर में श्रीमती शशि रानी भाटिया पति श्री सुनील कुमार भाटिया एवं श्री चिरायु भाटिया पिता श्री सुनील कुमार भाटिया, इन्दौर भागीदार है. विदित हो.

मेसर्स छबीलदास चुन्नीलाल,
शशि रानी भाटिया,
20-21, यशवंत कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(673-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Swastik Enterprises, having head office at 54, Main Road, Tripuri Chowk, Jabalpur is registered partnership firm.

With effect from 06.01.2018, Shri Satyendra Kumar Yadav and Smt. Pushpa Yadav has retired from the partnership and Shri Sharad Sahu and Shri Vinod Yadav joined the partnership. Now the partners of the firm are Shri Sharad Sahu and Shri Vinod Yadav.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For M/s. Swastik Associates,
VINODYADAV,
(Partner).

(672-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that Maruti Developers, having head office at 2720, Main Road, Tripuri Chowk, Garha, Jabalpur is registered partnership firm.

With effect from 10.01.2018, Shri Shrikant Dubey has retired from the partnership and Shri Anoop Kumar joined the partnership. Now the partners of the firm are Shri Khem Singh Thakur and Shri Anoop Kumar.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For Maruti Developers,
KHEMSINGH THAKUR,
(Partner).

(674-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारों अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स M/s P.S. Academy, पता-डी-61, विष्णु हाईटेक सिटी, बावड़िया कला, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00485/13, दिनांक 15-02-2013 है. जिसमें दिनांक 19-12-2017 को भागीदार Shri Rakesh Rahangdale S/o Shri Kailash Chand Rahangdale, R/o D-61, Vishnu High Tech City, Bawadia Kalan, Bhopal (M.P.) & Shri Vivek Gaur S/o Late Shri Y.D. Gaur, R/o MIG-14, Sector 3/A, Saket Nagar, Bhopal (M.P.) फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 20-12-2017 से नवीन भागीदार के रूप में Shri Tasvinder Singh S/o Shri Shiv Bahadur Singh, R/o Village-Lediary, Allahabad (U.P.) & Shri Shiv Dayal Vaishya S/o Shri Manik Ram Vaishya, R/o Village Podi Bargava, Post Dughmaniya, Tehsil Chirani, District Singroli (M.P.) सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

M/s P.S. Academy,
रचना खरे,
(भागीदार)
पता डी-61, विष्णु हाईटेक सिटी,
बावड़िया कला, भोपाल.

(675-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स "सी. पी. इन्टरप्राइजेज" दिनांक 18-05-2011 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00047/11 के रूप में कार्य कर रही हैं, जिसका पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 30-11-2017 से इस प्रकार है. श्री नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरौंजी लाल शिवहरे और श्री प्रवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरौंजी लाल शिवहरे अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं तथा रोहित वाध्वा पुत्र श्री पी. एस. वाध्वा, श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्नालाल भारद्वाज, श्री अरविंद अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल और श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल फर्म में सम्मिलित हुए हैं. फर्म का नया पंजीकृत पता "आनंदा, श्री राधे गैस गोदाम के सामने, गाँव सिरोल, सिटी सेन्टर, ग्वालियर-474006 (म.प्र.), हो गया है. हर आम आदमी को सूचित हो."

सी. पी. इन्टरप्राइजेज,
अरविंद अग्रवाल,
(भागीदार)

आनंदा, श्री राधे गैस गोदाम के सामने,
गाँव सिरोल, सिटी सेन्टर, ग्वालियर-474006 (म.प्र.).

(676-बी.)

जाहिर सूचना

हमारे पक्षकार श्री मनजीतसिंह भाटिया पिता श्री देवेन्द्रसिंह भाटिया एवं श्रीमती पुनीत कौर भाटिया पति श्री मनजीतसिंह भाटिया दोनों, निवासी-8, पालीवाल नगर, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकारगण, श्री विश्वास जैन पिता श्री भरतकुमार जैन एवं श्रीमती संजली जैन पति श्री विश्वास जैन द्वारा संयुक्त रूप से "मेसर्स किचन फूड्स", पता-14, जानकी नगर, एनेक्स-1, नवलखा, इन्दौर (म.प्र.) जिसका वर्तमान पता सतगुरू परिणय 308, भूखण्ड क्र. 05, पी. यू. 3, स्कीम नं. 54, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) के नाम से भागीदारी फर्म संचालित की जा रही थी. उक्त फर्म के भागीदार श्री विश्वास जैन पिता श्री भरतकुमार जैन एवं श्रीमती संजली पति श्री विश्वास जैन दोनों, निवासी 14, जानकी नगर, एनेक्स-1, नवलखा, इन्दौर (म.प्र.) दिनांक 31-07-2016 को आपसी सहमति से उपरोक्त फर्म से निवृत्त (Retired) हो चुके हैं तथा उक्त फर्म की चल-अचल संपत्ति एवं लेनदारियों में इनका कोई भी स्वत्व या अधिकार शेष नहीं रहा है एवं उक्त निवृत्त हुए भागीदारगण व उनकी ओर से किया हुआ समस्त लेद-देन फर्म द्वारा उक्त भागीदार की पूर्ण संतुष्टि में क्लियर किया जा चुका है. उक्त फर्म की संपत्ति या फर्म के संव्यवहार के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय का कोई लेन-देन या ऋण, भार, बंधक आदि हो अथवा कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति मय लेखी प्रमाण के हमारे समक्ष प्रस्तुत करें. बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे पक्षकारगण एवं फर्म पर बंधनकारी नहीं रहेगी. अब उक्त फर्म में किचन फूड्स के वर्तमान भागीदार श्री मनजीतसिंह भाटिया पिता श्री देवेन्द्र सिंह भाटिया एवं श्रीमती पुनीत कौर भाटिया पति श्री मनजीत सिंह भाटिया होकर उक्त फर्म दोनों की संयुक्त भागीदारी फर्म में पूर्ववत् संचालित रहेगी. सो सूचित हो.

राकेश जैन,
(एडवोकेट)

5/1, सिख मोहल्ला, जस्टिस संवत्सर मार्ग,
जिला न्यायालय के पास, इन्दौर (म.प्र.).

(677-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जय माँ कन्स्ट्रक्शन (जे. एम. सी.) 248, महाराजपुरा गाँव, भिण्ड रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्रमांक 2. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री बृजमोहन सिंह, उम्र 28 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता मकान नं. 71, ककरघा चीनोर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश को दिनांक 28-12-2017 को फर्म से अलग कर दिया गया है. अब श्री गोपाल सिंह का इस फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं शेष बचे हुए साझेदार जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म में रहने वाले दोनों साझेदारों एवं निकलने वाले साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स जय माँ कन्स्ट्रक्शन

जितेन्द्र सिंह,
(भागीदार)

ग्वालियर.

(678-बी.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अग्रवाल कोटेक्स, सेंधवा, जिला बड़वानी भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्र. 03/31/05/00139/08, दिनांक 31-10-2008 है, में भागीदार श्री विजय कुमार अग्रवाल पिता श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल, निवासी सेंधवा,

जिला बड़वानी दिनांक 01-01-2018 को भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत रियायर्ड हो गये हैं एवं फर्म में दिनांक 01-01-2018 से नवीन भागीदार के रूप में 1. शेख अमीन पिता श्री शेख यासीन बगवान, 2. हरिदास पिता श्री आसाराम ताटे, 3. सैय्यद सत्तार पिता श्री सैय्यद इब्राहीम बगवान, 4. सैय्यद मोहसीन पिता श्री सैय्यद नबी तथा 5. श्री विष्णुभाई पिता श्री मफतलाल पटेल फर्म में नवीन भागीदार, भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-अग्रवाल कोटेक्स,
मनोज कुमार अग्रवाल,
(भागीदार)
सेन्धवा, जिला बड़वानी.

(679-बी.)

आम सूचना

निवेदन है कि हमारी फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र में जो नाम दर्ज है इसमें त्रुटियां हैं. फर्म का सही-सही नाम मे. एस. साई. स्टोन क्रेशर है जबकि प्रमाण-पत्र में मे. साई स्टोन क्रेशर दर्ज है. हमारे अन्य प्रमाण-पत्र में पार्टनरशिप डीड मे. एस. साई. स्टोन क्रेशर दर्ज है. 05/26/01/00169/11, हमें विभाग में दस्तावेज प्रस्तुत करने में परेशानी आ रही है. श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे प्रमाण-पत्र में त्रुटि सुधार करने की कृपा की जाये.

मे. एस. साई स्टोन क्रेशर,
GIRISH PURI,
(पार्टनर)

(680-बी.)

सूचना

मेसर्स अनिल सिंह कान्स्ट्रक्शन कम्पनी विराट नगर, सतना मध्यप्रदेश में मनोज शर्मा पिता स्वर्गीय श्री बीएल शर्मा 10 प्रतिशत के भागीदार थे. जिनकी भागीदारी दिनांक 01-01-2017 से समाप्त हो गई है. वर्तमान में अनिल सिंह परिहार 100 प्रतिशत के प्रोपराइटर हैं.

मे. अनिल सिंह कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
अनिल सिंह परिहार,
(भागीदार)

(681-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सतना बिल्डर एण्ड डेवलपर्स जो कि सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, रीवा संभाग, रीवा में रजिस्टर्ड है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 05/26/01/00080/07 है एवं दिनांक 20-12-2007 से रजिस्टर्ड है में तीन भागीदार आपसी सहमति से निकले हैं. (1) रजनीश तिवारी तनय श्री रामकरण तिवारी, उम्र 40 वर्ष, निवासी गली नं.1, चांदमारी रोड, धवारी, सतना, (2) दिनेश गौतम तनय श्री सुरेश गौतम, उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 30 महादेवा, धवारी, सतना, (3) कार्तिकेय कुमार पाण्डेय तनय श्री रामनिधि पाण्डेय कृष्णा हाउस गली नं. 2 उत्तरी पतेरी, सतना. उपरोक्त संशोधन 11 दिसम्बर, 2017 को किया गया और अब मैसर्स सतना बिल्डर एण्ड डेवलपर्स में कुल 2 सदस्य होंगे. (1) विजय तिवारी पिता श्री जगन्नाथ तिवारी, उम्र 42 वर्ष, मंदाकिनी बिहार कॉलोनी, सिविल लाईन, सतना, (2) सुनील कुमार शुक्ला, उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 30 धवारी, सतना.

मैसर्स सतना बिल्डर एण्ड डेवलपर्स,
विजय तिवारी,
(भागीदार)
सतना (म.प्र.).

(686-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स श्री दादाजी स्टोन क्रेशर, फर्म जिसका पता-ग्राम बैसावा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/32/01/0078/16, दिनांक 06-09-2016 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री संदीप पटेल पिता श्री नरेन्द्र सिंह पटेल एवं 2. श्री अरुण गुप्ता पिता श्री अनोखीलाल गुप्ता थे तत्पश्चात् दिनांक 25-12-2017 को भागीदारी

संशोधन लेख द्वारा 1. श्री प्रीतम सिंह पटेल पिता श्री नारायण सिंह पटेल उक्त भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं श्री अरुण गुप्ता पिता श्री अनोखीलाल गुप्ता उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं। इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स श्री दादाजी स्टोन क्रशर से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है। यह विदित हो।

तर्फे

मेसर्स श्री दादाजी स्टोन क्रशर,

1. श्री संदीप पटेल,
 2. श्री प्रीतम सिंह पटेल,
- (भागीदार).

(687-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स विनायक इंटरप्राइजेस फर्म जिसका पता-38, टी. एस. नवलखा, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0197/17, दिनांक 01-11-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदारी 1. श्री विनोद पटेल पिता श्री नान्जीभाई पटेल, 2. श्रीमती ज्योति पटेल पति श्री विनोद पटेल, 3. श्री अजय बंसल पिता श्री बाबुलाल बंसल, 4. श्री शंकी बंसल पिता श्री अनिल बंसल, 5. श्री यश बंसल पिता श्री सुनील कुमार बंसल, 6. श्री प्रदीप मदान पिता श्री गुरुदत्त मदान, 7. श्रीमती रीता मदान पति श्री प्रदीप मदान, 8. श्री दीपक टेगे पिता श्री प्रभाकर टेगे, 9. श्रीमती मीनाक्षी टेगे पति श्री दीपक टेगे, 10. श्री प्रणय कुमार चौधरी पिता श्री मोहनलालजी चौधरी, 11. श्रीमती सुमित्रा चौधरी पति श्री मोहनलाल चौधरी थे तत्पश्चात् दिनांक 25-11-2017 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री शंकी बंसल पिता श्री अनिल बंसल, 2. श्री यश बंसल पिता श्री सुनील कुमार बंसल भागीदारी फर्म मेसर्स विनायक इंटरप्राइजेस से पृथक् हो गये हैं। इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स विनायक इंटरप्राइजेस से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है। यह विदित हो।

तर्फे

मेसर्स विनायक इंटरप्राइजेस,

1. श्री विनोद पटेल,
2. श्रीमती ज्योति पटेल,
3. श्री अजय बंसल,
4. श्री प्रदीप मदान,
5. श्रीमती रीता मदान,
6. श्री दीपक टेगे,
7. श्रीमती मीनाक्षी टेगे,
8. श्री प्रणय कुमार चौधरी,
9. श्रीमती सुमित्रा चौधरी.

(688-बी.)

(भागीदार).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स रोज बिल्टेक, पता-288/3, बदियाकीमा, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) एक भागीदारी फर्म होकर इसमें दो भागीदार पूर्व से श्री मुकेश कुमार पिता श्री राधाकिशन एवं श्री हरीश सचदेव पिता श्री बुदरमल है। उक्त फर्म में तीन नए भागीदार श्री कृष्णा देवकान लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री नविन जैन, श्री श्यामलाल पिता श्री ताराचंद जी चुघ एवं श्री जय प्रकाश पिता श्री मनोहरलाल नागपाल को जोड़ा गया है व भागीदारी फर्म का पता परिवर्तित होकर प्लॉट सी-1, योजना क्रमांक 59, आईडीए, राजीव गाँधी, चौराहा के पास मानिकबाघ रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) हो गया है। उक्त दोनों सभद में पूर्णगठन लेख जिसका नोटरी क्रमांक 2419/16 का निष्पादन उपरोक्त भागीदारों द्वारा आपसी सहमति से उक्त फर्म के संदर्भ में समस्त लेन-देन व व्यवहार कर निपटारा उपरोक्त पूर्णगठन के माध्यम से कर लिया गया है।

तर्फे

रोज बिल्टेक,

1. श्री मुकेश कुमार जेठवानी
2. श्री हरीश सचदेव,
3. श्री श्याम चुघ,
4. श्री जय प्रकाश नागपाल

(भागीदार).

श्री नवीन जैन,

(689-बी.)

(डायरेक्टर तर्फे श्री कृष्णा देवकान लिमि.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र.-एससी/2017/193.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर, जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश द्वारा जिले के लिये कैलेण्डर वर्ष 2018 में निम्नानुसार तिथियों में पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:-

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहारों के नाम
1.	24 जनवरी, 2018	बुधवार	माँ नर्मदा जयंती
2.	09 अगस्त, 2018	गुरुवार	विश्व आदिवासी दिवस
3.	08 नवम्बर, 2018	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन

अमित तोमर,
कलेक्टर.

(67)

कार्यालय कलेक्टर, सागर, जिला सागर

सागर, दिनांक 08 जनवरी, 2018

क्र./259/व.लि.-3/2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.-3/2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, आलोक कुमार सिंह वर्ष 2018 के लिए सागर जिले के अंतर्गत निम्नलिखित तारीखों को पूरे जिले के लिए स्थानीय अवकाश एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3/20/83/1/4, दिनांक 24 जून, 1983 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर डॉ. हरिसिंह गौर जयंती का विशेष अवकाश केवल सागर नगर के लिए घोषित करता हूँ:-

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व/त्यौहार
1.	06 मार्च, 2018	मंगलवार	रंगपंचमी
2.	08 अक्टूबर, 2018	सोमवार	पितृ मोक्ष अमावस्या
3.	08 नवम्बर, 2018	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन
4.	26 नवम्बर, 2018	सोमवार	डॉ. सर हरिसिंह गौर जयंती (केवल सागर नगर के लिये विशेष अवकाश).

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप-कोषालय को लागू नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त उक्त अवकाश लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के लिए भी लागू होंगे.

आलोक कुमार सिंह,
कलेक्टर.

(140)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2018

निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(66)/2017/111.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में “ए” एवं “बी” ऑफसेट श्रेणी में जीवित पंजीकृत समस्त मुद्रकों से मुद्रण एवं अन्य संबंधित विधाओं के कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं कामशियल भाग की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन ई-टेंडर <https://mpeproc.gov.in> से दिनांक 27 जनवरी, 2018 समय अपरान्ह 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं. तकनीकी भाग दिनांक 27 जनवरी, 2018 को अपरान्ह 03.30 बजे एवं निविदा का कामशियल भाग दिनांक 29 जनवरी, 2018 को अपरान्ह 02.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी.

2. ऑनलाईन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक एवं दो की जानकारी की हार्डकॉपी, स्थापित मशीनों की सूची, नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को <https://mpeproc.gov.in> पर अवलोकन हेतु रखा गया है।
4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in उपलब्ध रहेगी।

(141)

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2018

निष्प्रयोजित घोषित वाहन की नीलामी की सूचना

क्र./जी.बी.05(09)2017/185.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल का वाहन क्रमांक एम.पी. 02-0786 इंडिका कार को निष्प्रयोजित किया गया है, वाहन जिस हालत में है उसी हालत में नीलामी हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते आवेदन-पत्र तथा नीलामी की बोली दिनांक 27 जनवरी, 2018 समय 03: 00 बजे प्रारम्भ की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी, नीलामी की शर्तें एवं वाहन के निरीक्षण हेतु नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त नीलामी सूचना को विभाग की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

(143)

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2018

द्वितीय निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(97)2017/184.—उत्तर पुस्तिका के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित, पैकिंग परिवहन एवं अन्य प्रति नग समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत मुद्रक से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 01 फरवरी, 2018 अपरान्ह 12.00 तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 01 फरवरी, 2018 को अपरान्ह 1.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों खोला जावेगा।
3. निविदा भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

(144)

Bhopal, Dated 17th January, 2018**SECOND TENDER NOTICE**

No. GB-II/(97)2017/184.— ONLINE Bids are invited through IT Department website <https://mpeproc.gov.in> from the Registered Printers for confidential Printing work of Indian Bank Association (IBA) who have for Printing and supply of Answer Sheet (description mentioned in technical details) including paper, printing and other charges per No. with all taxes are invited on or before 12.00 PM on 01-02-2018 as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 1st February, 2018 at 1.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.
3. All corrigendum/amendments/changes, if any will only be issued and made available only on Website <https://mpeproc.gov.in> and www.govtpressmp.nic.in

RAJESH KAUL,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(144-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, नरसिंहपुर

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003/ब-113/2017-18 श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कपूर चंद्र जैन, राधा बल्लभ वार्ड तहसील करेली व जिला नरसिंहपुर ने श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद कहान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, राधा वल्लभ वार्ड करेली, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र (इशतहार) किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार हेतु रखा गया है।

अतः मैं, राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर एवं पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर (अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर) जिला नरसिंहपुर द्वारा न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस संबंध में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 45 दिवस के भीतर दो प्रतियों में अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में अपने सहप्रमाण सहित में इस सूचना-पत्र प्रकाशन की निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों या दावा/सुझाव पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद कहान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, राधा वल्लभ वार्ड करेली, जिला नरसिंहपुर)

अचल संपत्ति

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	बाजार मूल्य
1.	जिल मंदिर तीन मंजिला भवन, प्लॉट नं. 348, म. नं. 74, राधा बल्लभ वार्ड करेली	20,00,000 (बीस लाख रुपये)
2.	जिनवाणी मंदिर एवं अतिथि भवन, तीन मंजिल भवन, प्लॉट नं. 356, राधा बल्लभ वार्ड, करेली.	30,00,000 (तीस लाख रुपये)

चल संपत्ति

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	बाजार मूल्य
1.	सोना, चांदी, मूर्तियाँ, पूजन सामग्रियाँ, अलमारी, दानपेटी, वस्त्र, फर्नीचर, शिखरदण्ड-शिखरध्वज, सीडी कलश, घड़ियाँ, सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रिक सामान, उपकरण बनवाने हेतु चांदी, माईक सेट, स्पीकर, लेपटॉप, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन सहित, मूर्तियाँ, छत्र, भोजन सामग्री, भोजनालय सेट, गद्दे चादर तकिया रजाई, पलंग तखत.	63,51,000/- (तिरेसठ लाख इनक्यावन हजार रुपये) मात्र.

राजेन्द्र राय,

(68)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, जयसिंहनगर, जिला शहडोल

प्र.क्र.51/अ-74/2016-17.

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री गंगा सिंह बघेल पिता श्री गणेश सिंह बघेल, निवासी ग्राम अटरिया, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की उपधारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को विचार किया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में कोई हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, जे. एल. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उससे हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम, पता)

1. लोक न्यास का नाम : श्री शारदा मंदिर शारदा धाम घाटी डोंगरी, बनचाचर, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.).

2. सम्पत्तियों का विवरण :

(अ) चल सम्पत्ति :

1. लाउड स्पीकर सेट एक नग, 2. दरिया बड़ी दो नग,
3. भण्डारे का बर्तन-बीस नग, 4. कड़ाही, गंजा, लोटा अन्य सामग्रियाँ,
5. माँ के अभूषण सोने का मुकुट, हार, बेंदी, अन्य जेवर, चाँदी मुकुट, हार, छत्र एवं अन्य जेवर.

(ब) अचल सम्पत्ति :

1. ग्राम बनचाचर स्थित शासकीय आराजी खसरा नम्बर 10 रकवा 1.68 एकड़, एवं खसरा नम्बर 11/2 रकवा 1.95 एकड़ भूमि.
2. ग्राम बनचाचर स्थित भूमि खसरा नम्बर 470/3, रकवा 0.202 हेक्टेयर भूमि.

यह सार्वजनिक सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

जे. एल. तिवारी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(69)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2017-18.

ग्राम-पड़वार, तहसील बण्डा, जिला सागर.

प्रारूप-पाँच

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 का उपनियम (1) देखिए]

लोक न्यास के पंजीयक बण्डा, जिला सागर के समक्ष.

क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर पड़वार, तहसील बण्डा, जिला सागर की संपत्ति का विवरण

भूमि:-

मौजा/ह.नं.	तहसील	कब्जेदार का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा
पड़वार-0014 रा.नि.मं. बहरोल, तहसील बण्डा, जिला सागर.	बण्डा	श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर पड़वार, तहसील बण्डा, जिला सागर, अध्यक्ष श्री पवन कुमार पिता स्व. श्री वंशीधर जैन सिंघई ब्रदर्स तीनगुल्ली चौराहा, दमोह मध्यप्रदेश.	बण्डा	1020 शासकीय भूमि.	1.47 हे. में से 0.02 हे.
				कुल: 01	0.02 हे.

न्यास का बैंक खाता:-

क्र.	बैंक का नाम	बैंक खाता नम्बर	दिनांक 04 -04-2017 को बैंक में जमा राशि
1.	पंजाब नेशनल बैंक, सागर	0420000108300516	53,372.64

अंकन:- तिरेपन हजार तीन सौ बहत्तर रुपया चौंसठ पैसा मात्र.

बी. बी. पाण्डेय,

(70)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड आलोट, जिला रतलाम

आलोट, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 एक का अधिनियम तीसवां की धारा-5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-5(1) अनुसार]

क्र./1565/री-1/17.—चूंकि श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सदर बाजार ताल, तहसील ताल द्वारा अध्यक्ष श्री विजेन्द्रकुमार पिता मोहनलाल पितलिया, निवासी ताल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 अनुसार नीचे दर्शाई गई सम्पत्ति एवं पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 19 जनवरी, 2018 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में सुनवाई की जावेगी.

अतः कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या एजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित हों.

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सदर बाजार ताल, तहसील ताल, जिला रतलाम मध्यप्रदेश.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण :
 1. ग्राम बिसलखेडा, तहसील ताल में भूमि सर्वे नं. 226/1/2 रकबा 0.030 हैक्टर.
 2. कस्बा ताल नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 13 में स्थित स्थानक भवन जो कि 60 फिट चौड़ा होकर 100 फिट लम्बा है.

3. वार्ड क्रमांक 13 ब्राह्मण गली में स्थित अतिथि भवन जो 20 फिट चौड़ा होकर 50 फिट लम्बा है.
4. ग्राम रामगढ़ तहसील ताल में स्थित भूमि जो 30 फिट चौड़ी होकर 100 फिट लम्बी है. जिस पर स्थानक भवन प्रस्तावित है.

3. चल सम्पत्ति : 1. नगदी रुपये 7586/- जो वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा ताल खाता क्रमांक 2078662722 में जमा हैं.

आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

लक्ष्मी गामड़,

(71)

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री कमल कुमार पिता श्री रामचन्द्र भाले, पता-17/13, विजय नगर, इन्दौर जिला इन्दौर के द्वारा "श्री कुनवी पटेल समाज पामरमार्थिक सहायतार्थ ट्रस्ट" कार्यालय-17/13, विजय नगर, इन्दौर म.प्र. जिला इन्दौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री कुनवी पटेल समाज पामरमार्थिक सहायतार्थ ट्रस्ट".
पता	:	कार्यालय-17/13, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति निरंक है.
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(72)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक नवीन मेहता पिता स्व. श्री जुगराजजी मेहता व राजकुमार पिता श्री चन्द्रकुमार शिवानी, पता-बी. सी. एम. गुप, युजी-21, बीसीएम हाईटस, बम्बे हॉस्पिटल रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा "पंडितजी सेवा न्यास" कार्यालय पता-शाँप नम्बर 149, तीसरी मंजिल 13-14 आर. एन. टी. मार्ग दवा बाजार, इन्दौर जिला इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“पंडितजी सेवा न्यास”.
पता	:	कार्यालय-शॉप नम्बर 149, तीसरी मंजिल 13-14 आर. एन. टी. मार्ग दवा बाजार, इन्दौर जिला इन्दौर(म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 21,000/- (इक्कीस हजार मात्र) है. जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

(73)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रकरण क्र.0007/बी-113/2017-18.

उज्जैन, दिनांक 03 जनवरी, 2018

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)]

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक अध्यक्ष श्री शिवसिंह पिता श्री मांगीलाल पटेल द्वारा “अखिल भारतीय क्षत्रिय धनगर गारी समाज-सामाजिक ट्रस्ट, उज्जैन”, पता-51, कार्तिक चौक उज्जैन, तहसील व जिला उज्जैन, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी, 2018 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे यह सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने पर विचार करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता

न्यास का नाम	:	“अखिल भारतीय क्षत्रिय धनगर गारी समाज-सामाजिक ट्रस्ट, उज्जैन”.
कार्यालय	:	51, कार्तिक चौक, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	अचल संपत्ति आवेदन-पत्र अनुसार निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	चल संपत्ति के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, उज्जैन की पटनी बाजार स्थित शाखा के बैंक खाता क्रमांक 36719544519 में 42827.50/- जमा है. जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत की है.

शित्तिज शर्मा,
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(74)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुभाग मेंहगाँव, जिला भिण्ड

प्र.क्र.0001/बी-121/2017-18.

मेंहगाँव, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

प्रारूप-पाँच

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 और 5(1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 के धारा-5(2)के अंतर्गत]

रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट मेंहगाँव के समक्ष मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दी गई जायदार मध्यप्रदेश एक्ट 1951 की धारा-(2) उपधारा (4) के अन्तर्गत एक पब्लिक ट्रस्ट है.

अतः मैं, तहसील मेंहगाँव, जिला भिण्ड का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में 30 दिवस तक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार में लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता : आदि शक्ति आजी माँ लोक कल्याण न्यास ग्राम गढी (अमायन), तहसील मेंहगाँव, जिला भिण्ड.

सम्पत्ति का विवरण : लोक न्यास की स्थावर सम्पत्ति का विवरण

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	प्राक्कलित मूल्य	विल्लेगयो का विवरण	स्वत्व विलेखो का विवरण
1.	2 ग्राम सढा तहसील मेंहगाँव	150000/- (एक लाख पचास हजार लगभग)	कोई भार नहीं है.	आजी माँ स्थान सढा सरक्षक बाबा अच्छाराम दास ने पूर्व भूमिस्वामी अजबसिंह एवं कोमलसिंह, निवासी अमायन तथा लल्लाबेटी पत्नी विजयसिंह से क्रय की.
2.	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	आजी माँ स्थान सढा सरक्षक बाबा अच्छाराम दास ने पूर्व भूमिस्वामी विधादेवी पत्नी श्रीनारायण सिंह एवं सोनादेवी सूरज, निवासी लहारा, तहसील मेंहगाँव, जिला भिण्ड.

सम्पत्ति का विवरण : लोक न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण

क्रमांक	एकाउण्ट	जमा राशि	विल्लेगयो का विवरण	स्रोत
1.	3613550640	22360/-	-	जमीन की पैदावर से एवं मंदिर पर चढोती का स्रोत
2.	3613646447	500/-	-	घण्टो का वजन 38.500 ग्राम.

अनिल बनवारिया,

(75)

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 02/बी-113/2017-18.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "इन्दूरिया चेरीटेबल ट्रस्ट" बी-37, सागर रायल होम्स, होशंगाबाद रोड, ग्राम-छान की और से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा का विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "इन्दूरिया चेरीटेबल ट्रस्ट" बी-37, सागर रायल होम्स, होशंगाबाद रोड, ग्राम-छान, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 31000/-
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

अतुल सिंह,
रजिस्ट्रार.

(98)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 सिलवानी
रा.प्र.क्र.3/बी/113/SDP/167.

प्रारूप-पाँच

[देखें नियम-5]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी अनिल जैन, सिलवानी, जिला रायसेन के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (क) 30 की धारा-2 की उपधारा-4 के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिये मैं, अनिल कुमार जैन, लोक न्यासों का पंजीयक सिलवानी, जिला रायसेन मेरे न्यायालय में 2017 के 11 दिसम्बर, 2017 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह में भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लक्ष्मी नारायण मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट ग्राम बूढा, तहसील सिलवानी

1. लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्थित ग्राम बूढा, तहसील सिलवानी.
2. भूमि खसरा क्र. 37, 45, 83, 84, 85, 103/82 किता-6 रकवा 7.034 हे. स्थित ग्राम बूढा, तहसील सिलवानी.

अनिल जैन,

अनुविभागीय राजस्व एवं पंजीयक.

(142)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी, जिला बड़वानी

फार्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी के समक्ष.

आवेदक अध्यक्ष श्री सेहजाद (सज्जाद) पिता मोहम्मद हुसैन अब्बासी, निवासी-5 सरदार पटेल मार्ग, गली नंबर-03, बड़वानी, जिला बड़वानी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया, बड़वानी के ट्रस्ट को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अधिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगा.

आज दिनांक 25 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

महेश बडोले,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार.

(240)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक दशपुर खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—दशपुर खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, जिसका

पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 14 मार्च, 1960 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दशपुर खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./2262/1986 मन्दसौर, दिनांक 30 जून, 1986 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./870/2012, मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा।

(61)

कार्यालय परिसमापक सकवाल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—सकवाल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 18 मार्च, 1953 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सकवाल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./3137/1976 मन्दसौर, दिनांक 25 मई, 1976 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./870/2012, मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा।

(62)

कार्यालय परिसमापक आदर्श कम्बल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—आदर्श कम्बल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 580, दिनांक 04 अक्टूबर, 1961 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आदर्श कम्बल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./1862/1982 मन्दसौर, दिनांक 28 मई, 1982 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./870/2012, मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा।

(60)

व्ही. के. खेरिया,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 815, दिनांक 30 जुलाई, 2016 शंखेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 25 मई, 2005 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, के संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(76)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 369, दिनांक 03 मार्च, 2015 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुस्मानिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 502, दिनांक 31 मार्च, 1983 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक, के संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(77)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3174.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	जय माँ पीताम्बरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	791/05-05-2017	1958/24-07-2017	श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(78)

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3175.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	जय बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी.	790/05-05-2017	1959/24-07-2017	श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(79)

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3176.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	अल्पसंख्यक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी.	787/05-05-2017	1962/24-07-2017	श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(80)

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3177.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	542/04-03-2008	2173/17-08-2017	श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(81)

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3178.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी.	792/05-05-2017	1957/24-07-2017	श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(82)

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3179.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लंगूरी, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी.	753/26-04-2017	1925/24-07-2018	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(83)

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3180.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बासगढ़, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी	479/31-05-2003	2073/26-10-2016	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(84)

शिवपुरी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/3181.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडौरा, तहसील करैरा, शिवपुरी.	744/01-03-2017	1921/24-07-2017	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(85)

शिवपुरी, दिनांक 04 जनवरी, 2018

क्र./परि./2017/12.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना.	586/30-08-2011	78/20-01-2015	श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

के. के. द्विवेदी,
उप पंजीयक.

(86)

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/95.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1829, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा दुर्वा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीयन क्रमांक 319, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वाँछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(87)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/96.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1828, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्रीकृष्ण प्रजापति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीयन क्रमांक 318, दिनांक 02 मई, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वाँछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी

सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(88)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/97.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1831, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा नेचरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, इन्दौर (पंजीयन क्रमांक 321, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वाँछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(89)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/105.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1830, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा निमाडु सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीयन क्रमांक 320, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वाँछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(90)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/98.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1820, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा धन संचय साख सहकारी संस्था मर्या.,

धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 02 दिसम्बर, 2015) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वांछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वांछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(91)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/99.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1821, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा सेन्ट्रल इण्डिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वांछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वांछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(92)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/100.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1822, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा धामनोद क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (पंजीयन क्रमांक 312, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वांछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वांछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी

सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(93)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/101.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1827, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा युवा मध्य भारत क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, भीकनगांव, जिला खरगौन (पंजीयन क्रमांक 317, दिनांक 06 अप्रैल, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वाँछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(94)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/102.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1832, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा मातोश्री क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, कसरावद, जिला खरगौन (पंजीयन क्रमांक 322, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वाँछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वाँछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(95)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/103.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1834, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा मण्डी अधिकारी/कर्मचारी साख सहकारी

संस्था मर्या., इन्दौर, पता नायक कॉम्प्लेक्स, त्रिकोण चौराहा, सनावद, जिला खरगौन (पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 04 जुलाई, 2017) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वांछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वांछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(96)

इन्दौर, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./ऑ./2018/104.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1835, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री पाटीदार सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी (पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 12 जुलाई, 2017) की पंजीयन दिनांक से अद्यतन स्थिति यथा वित्तीय वर्षवार कार्य-व्यवसाय से संबंधित 06 बिन्दुओं के संबंध में सत्यापित जानकारी चाही जाकर उपरोक्त पत्र पंजीकृत डाक से संस्था कार्यालय के पंजीकृत पते पर प्रेषित कर एक सप्ताह में वांछित की गई है। किन्तु उपरोक्तानुसार अपेक्षित वांछित जानकारी पत्र तामिली उपरांत भी आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का गठन/पंजीयन जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु किया गया है, उसके विपरीत यह भी दर्शित होता है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं कर रही है। अतः पंजीयन दिनांक से सतत् रूप से अकार्यशील रहने/पंजीकृत पते पर कार्य-व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य हेतु गठित/पंजीकृत है, उसके विफल होने से उपरोक्त संस्था का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के तहत जारी कर संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 जनवरी, 2018 को दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(97)

अभय खरे,

संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1916.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार बंधुत्व साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये बंधुत्व साख

सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1615, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से बंधुत्व साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, बंधुत्व साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1087, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री राम सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(99)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1917.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जिला परिवाहन साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये जिला परिवाहन साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1616, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से जिला परिवाहन साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जिला परिवाहन साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1069, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. के. कटारे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(100)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1918.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है।

इसलिये इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1602, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1071, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. के. कटारे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(101)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1999.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार उदय महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सुनपुरा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये उदय महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सुनपुरा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1601, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से उदय महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सुनपुरा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, उदय महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सुनपुरा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1058, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. के. कटारे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(102)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1920.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ वैष्णों महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है.

इसलिये माँ वैष्णों महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1594, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से माँ वैष्णों महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ वैष्णों महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1080, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(103)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1923.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1599, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./876, दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लटेरी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(104)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1924.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जीवन श्री स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है.

इसलिये जीवन श्री स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1608, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से जीवन श्री स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जीवन श्री स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1084, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल अहिरवार, उप-अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(105)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1929.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार चेतना महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये चेतना महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1595, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से चेतना महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, चेतना महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1051, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री के. सी. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(106)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1947.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार बाबा रामदेव क्रेडिट कॉऑपरेटिव सोसायटी मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस

कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये बाबा रामदेव क्रेडिट कॉऑपरेटिव सोसायटी मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1619, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से बाबा रामदेव क्रेडिट कॉऑपरेटिव सोसायटी मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, बाबा रामदेव क्रेडिट कॉऑपरेटिव सोसायटी मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1066, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री नितिन श्रीराव, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(107)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1948.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1623, विदिशा, दिनांक 01 नवम्बर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1062, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री के. सी. यादव, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(108)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1949.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार शीतला महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेहलुआ सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस

कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये शीतला महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेहलुआ सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1610, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से शीतला महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेहलुआ सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शीतला महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेहलुआ सेक्टर कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही. डी.एस./1077, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(109)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1950.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ अम्बा महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये माँ अम्बा महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1600, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से माँ अम्बा महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ अम्बा महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही. डी.एस./1088, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री नितिन श्रीराव, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(110)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1951.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विदिशा कृषि उपज मंडी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस

सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये विदिशा कृषि उपज मंडी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1609, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से विदिशा कृषि उपज मंडी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कृषि उपज मंडी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1067, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री नितिन श्रीराव, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(111)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1952.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मारुति बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पलीता, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये मारुति बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पलीता, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1611, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से मारुति बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पलीता, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मारुति बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पलीता, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1082, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(112)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1953.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्रृंगार साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था

ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये श्रृंगार साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1618, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से श्रृंगार साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्रृंगार साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1070, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(113)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1961.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार यशोदा बायोप्लास्टिक सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये यशोदा बायोप्लास्टिक सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1605, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से यशोदा बायोप्लास्टिक सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, यशोदा बायोप्लास्टिक सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1068, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(118)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1962.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कृषि विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुर, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस

सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये कृषि विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1614, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से कृषि विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कृषि विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुर, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1052, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री के. सी. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(119)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1963.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार एस. एम. व्हाइटल साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये एस. एम. व्हाइटल साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1606, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से एस. एम. व्हाइटल साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, एस. एम. व्हाइटल साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1064, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री के. सी. यादव, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(120)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी, 2018-माघ 6, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 अगस्त, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील मुरैना (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), खनियाधाना, करैरा, (शिवपुरी), ईसागढ़, चन्देरी, (अशोकनगर), रामपुर-बघेलान (सतना), कोतमा, अनूपपुर, जतारा (टीकमगढ़), बक्सवाहा (छतरपुर), शाहगढ़ (सागर), मल्हारगढ़, मन्दसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, संजीत (मन्दसौर), नीमच (नीमच), महिदपुर, तराना, घटिया, नागदा (उज्जैन), मौमन बड़ौदिया, कालापपीपल, गुलाना (शाजापुर), सोनकच्छ, टोंकखुर्द, देवास, बागली, कन्नौद (देवास), रानापुर (झाबुआ), जोबट, उदयगढ़, चं. शे. आजाद नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुच्छी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी (धार), खरगौन, बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, पानसेमल, पाटी, बरला, निवाली (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), सिरोंज, नटेरन, विदिशा (विदिशा), बैरसिया, बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इच्छावर, श्यामपुर, जावर (सीहोर), रायसेन, सिलवानी, बाडी (रायसेन), इटारसी (होशंगाबाद), हरदा, टिमरनी (हरदा), मझोली (जबलपुर), करेली (नरसिंहपुर), छिन्दवाड़ा, सौंसर, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, उमरैठ, मोहखेड़, हरई (छिन्दवाड़ा), कुरई, केवलारी, लखनादौन, छापरा, धनोरा, घंसौर (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील सबलगढ़ (मुरैना), विजयपुर (श्यामपुर), ग्वालियर, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेवड़ा, दतिया (दतिया), पिछोर (शिवपुरी), मुँगावली (अशोकनगर), राघोगढ़, आरौन (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), छतरपुर (छतरपुर), खुरई, मालथोन (सागर), रघुराजनगर, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर, विरसिंहपुर (सतना), तेंदूखेड़ा, पटेरा (दमोह), जयसिंहनगर (शहडोल), जैतहारी (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), सुबासरा, धुंधडका (मन्दसौर), जावद, मनासा (नीमच), शुजालपुर (शाजापुर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर (राजगढ़), बासौदा, ग्यारसपुर (विदिशा), नसरूलागंज, रेंहटी, बुधनी (सीहोर), गोहरगंज, बरेली, उदयपुरा (रायसेन), होशंगाबाद, वाबई, सिवनीमालवा, बनखेड़ी (होशंगाबाद), खिरकिया (हरदा), कृण्डम (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव (नरसिंहपुर), नैनपुर, निवास, घुघरी (मण्डला), परासिया, पांढुर्ना, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट (सिवनी), बारासिवनी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, कैलारस (मुरैना), भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, कोलारस (शिवपुरी), अशोकनगर (अशोकनगर), गुना (गुना), पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गुन्नौर, पवई (पन्ना), बीना, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली (सागर), रामनगर (सतना), हटा, बटियागढ़, जवेरा (दमोह), हजूर, गुढ़ (रीवा), मानपुर (उमरिया), भागवानपुरा (मन्दसौर), शाजापुर (शाजापुर), पचौर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), गुलाबगंज (विदिशा), गैरतगंज, बेगमगंज (रायसेन), सोहागपुर (होशंगाबाद), गाडरवारा (नरसिंहपुर), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), किरनापुर, बैहर, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील पोरसा, जौरा (मुरैना), श्योपुर, कराहल (श्योपुर), नरवर, पोहरी (शिवपुरी), बम्होरी, चांचौड़ा, कुम्भराज (गुना), बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, लवकुशनगर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, शाहनगर (पन्ना), बण्डा, रहली (सागर), पथरिया (दमोह), मझगाँव, नागौद (सतना), ल्योथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, बुढ़ार, गोहपारु, जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), उदयनगर (देवास), राजगढ़, खिलचीपुर, ब्यावरा (राजगढ़), लटेरी, कुरवाई (विदिशा), पिपरिया, पचमढी (होशंगाबाद), जबलपुर, सीहोरा, पाटन (जबलपुर), तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला, बिछिया (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), तामिया (छिन्दवाड़ा), बालाघाट, लांजी, विरसा, लालबर्वा, खेरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी में कहीं-कहीं पर जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

जिला ग्वालियर, पन्ना, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट में कहीं-कहीं पर धान रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी.- जिला डिण्डोरी में फसल मक्का, सोयाबीन, उड़द तथा जिला ग्वालियर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमराय, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी कहीं-कहीं पर चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति- अल्प वर्षा एवं कीट प्रकोप से जिला हरदा, सीहोर एवं खरगौन में वर्षा के अन्तराल से फसलों पर आंशिक प्रभाव होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. कटाई.-

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर, हरदा, जबलपुर, सिवनी में पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 अगस्त, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	42.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	84.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	17.2				
4. जौरा	136.0				
5. कैलारस	47.0				
6. सबलगढ़	29.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	74.5		4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	82.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं		
3. विजयपुर	28.0				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3.*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. गौरमी	. .				
7. मौ	. .				
8. रौन/मिहोना	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू, धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	32.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	34.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवदा	20.0		4. (1) गन्ना, तिल, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	26.0		(2) गन्ना समान. तिल, मूँगफली सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	51.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	49.0			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	24.0			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	10.0						
4. नरवर	107.0						
5. करैरा	17.0						
6. कोलारस	46.0						
7. पोहरी	81.0						
8. बैराढ़	..						
9. बदरवास	..						
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	19.0			4. (1)	उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	6.0				सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	35.0			(2)	उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. चन्देरी	15.0						
5. नई सराय	..						
6. पिपरई	..						
7. शाढौरा	..						
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	38.6			4. (1)	सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	20.0				समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	173.0			(2)	उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. आरोन	34.0						
5. चाचौड़ा	72.0						
6. मकसूदनगढ़	..						
7. कुम्भराज	76.0						
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	26.0			4. (1)	धान, उड़द अधिक है. ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	28.0				मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	17.0				अरहर कम है.		
4. टीकमगढ़	24.0			(2)	उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. बल्देवगढ़	68.0						
6. पलेरा	36.0						
7. खरगापुर	..						
8. मोहनगढ़	..						
9. लिधौरा	..						
10. ओरछा	49.0						
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	56.0			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	164.0						
4. छतरपुर	34.4						
5. राजनगर	83.4						
6. बिजावर	64.0						
7. बड़ामलहरा	106.4						
8. महाराजपुर	..						
9. चंदला	..						
10. धुवारा	..						
11. लवकुश नगर	85.0						
12. बक्सवाहा	9.6						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है, बोनी चालू है, रोपाई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	122.1				
2. पन्ना	60.6				
3. गुन्नौर	50.3				
4. पवई	46.0				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	64.5				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम है. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	41.2				
2. खुरई	19.4				
3. बण्डा	75.0				
4. सागर	44.1				
5. रेहली	61.4				
6. देवरी	36.0				
7. गढ़ाकोटा	42.8				
8. राहतगढ़	43.0				
9. कंसली	44.0				
10. मालथोन	34.2				
11. शाहगढ़	17.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग, उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का, तिल, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	35.0				
2. बटियागढ़	41.0				
3. दमोह	53.0				
4. पथरिया	67.0				
5. जवेरा	48.0				
6. तेन्दूखेड़ा	33.8				
7. पटेरा	33.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) उड़द अधिक. तिल, मूँग, कोदों-कुटकी, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूँगफली समान, सोयाबीन, तुअर, धान, रामतिल कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	34.2				
2. मझगावां	89.0				
3. रामपुर-बघेलान	8.0				
4. नागौद	57.6				
5. उचेहरा	28.0				
6. अमरपाटन	22.0				
7. रामनगर	43.0				
8. मैहर	29.0				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	20.8				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है, बोनी चालू है, रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) उड़द, मूँग, तुअर, ज्वार, कोदों समान. धान, सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	86.0				
2. सिरमौर	112.6				
3. मऊगंज	110.0				
4. हनुमना	98.2				
5. हजूर	43.7				
6. गुढ़	52.3				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	67.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू, रोपाई चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, तिल अधिक. कोंदो, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	155.0				
2. ब्यौहारी	96.0				
3. जैसिंहनगर	19.0				
4. बुद्धार	76.0				
5. गोहपारू	101.1				
6. जैतपुर	143.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई चालू	3. . . 4. (1) मक्का अधिक, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोंदो-कुटकी समान. धान कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	23.1				
2. अनूपपुर	68.0				
3. कोतमा	5.3				
4. पुष्पराजगढ़	110.0				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोंदो-कुटकी, उड़द, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	272.2				
2. पाली	18.0				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	37.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, खरीफ फसलों की बोनी चालू, धान रोपाई चालू	3. . . 4. (1) उड़द, मूँग, ज्वार, मक्का समान. धान, तुअर, तिल, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	63.2				
2. सिंहावल	135.0				
3. मझौली	54.0				
4. कुसमी	81.0				
5. चुरहट	66.4				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	67.8				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई चालू	3. . . 4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर, कोदों, तिल, धान कम. (2) उड़द बिगड़ी हुई. शेष सभी फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .				
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूँग कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	24.0				
2. भानपुरा	41.4				
3. मल्हारगढ़	4.0				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	3.0				
6. श्यामगढ़	7.0				
7. सीतामऊ	6.8				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधडक्का	24.0				
10. संजीत	2.0				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	20.0		4.(1) मक्का, मूँगफली अधिक. उड़द समान. सोयाबीन, अरहर, मूँग, तिल, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	14.0				
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	27.0				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	7.0		(2) . .		
3. तराना	12.0				
4. घटिया	3.0				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	2.0				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमन बड़ोदिया	15.0		4.(1) मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द अधिक, सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	35.6				
3. शुजालपुर	27.0				
4. कालापीपल	1.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	3.0				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	6.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	1.0		(2) . .		
3. देवास	13.0				
4. बागली	7.0				
5. कन्नोद	7.0				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	54.0				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..			4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूँगफली तुअर अधिक.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं			
3. पेटलावद	..						
4. झाबुआ	..						
5. राणापुर	2.0						
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	8.4			4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द अधिक.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..			(2) ..			
3. कट्टीवाड़ा	33.0						
4. सोंडवा	..						
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	15.8						
6. उदयगढ़	9.0						
7. भामरा	..						
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	1.3			4. (1) कपास, गन्ना समान.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	5.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
3. धार	7.8						
4. कुक्षी	3.5						
5. मनावर	9.0						
6. धरमपुरी	12.0						
7. गंधवानी	9.0						
8. डही	..						
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..			4. (1) ..		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..			(2) ..			
3. इन्दौर	..						
4. हातोद	..						
5. महू	..						
(डॉ. अम्बेडकर नगर)							
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2.	..	3. वर्षा में अन्तराल से आंशिक प्रभाव.		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	12.0			4. (1) मक्का, तुअर अधिक, ज्वार धान, बाजरा, कपास कम.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	6.2			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.			
3. सेगांव	6.0						
4. खरगौन	3.8						
5. गोगावां	..						
6. कसरावद	13.0						
7. भगवानपुरा	4.1						
8. भीकनगांव	5.0						
9. सनावद	..						
10. झिरन्या	1.0						
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	बोनी चालू.	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	6.2			4. (1) गन्ना, मक्का, अधिक. ज्वार, कपास कम.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	12.0			(2) गन्ना, मक्का, ज्वार, समान. कपास कम.			
3. राजकोट (राजपुर)	..						
4. सेंधवा	..						
5. पानसेमल	13.0						
6. पाटी	7.0						
7. अंजड	..						
8. बरला	16.3						
9. निवाली	17.0						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	19.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	7.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	181.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	26.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	78.0				
4. ब्यावरा	82.2				
5. सारंगपुर	12.0				
6. पचोर	43.0				
7. नरसिंहगढ़	43.5				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	99.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	16.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	72.8				
4. बासोदा	31.8				
5. नटेरन	17.0				
6. विदिशा	15.2				
7. गुलाबगंज	48.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	32.5				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	9.4		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द,ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	8.2		मक्का, धान.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	6.6		फसल में कीट प्रकोप. पीला	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	6.0		मैजिक रोग एवं बोझपन की	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	7.0		शिकायत कुछ-कुछ जगह से		
4. नसरुल्लागंज	24.0		प्राप्त हो रही है.		
5. रेहटी	27.1		4. (1) . .		
6. श्यामपुर	2.0		(2) . .		
7. जावर	15.2				
8. बुधनी	29.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू, जुताई कार्य चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	12.8				
2. गैरतगंज	37.8				
3. बेगमगंज	36.0				
4. गोहरगंज	22.0				
5. बरेली	21.3				
6. सिलवानी	14.5				
7. बाड़ी	13.5				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	26.6				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैतूल	..				
2. भैंसदेही	..				
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचौली	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कहीं-कहीं चल रही है.	3. .. 4. (1) गन्ना, तिल, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	32.9				
2. सिवनी मालवा	21.0				
3. बावई	24.0				
4. इटारसी	13.4				
5. सोहागपुर	38.0				
6. पिपरिया	81.8				
7. बनखेड़ी	20.4				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढी	72.6				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. अल्प वर्षा, कीट व रोगों से आंशिक प्रभाव है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	11.5				
2. खिड़किया	23.6				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमरनी	0.4				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू, रोपाई कार्य चालू.	3. .. 4. (1) उड़द, मूँग अधिक. धान, तिल, मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	167.2				
2. कुण्डम	19.0				
3. सीहोरा	75.0				
4. पाटन	84.2				
5. मझौली	14.0				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू, धान रोपाई कार्य चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..				
2. ढीमरखेड़ा	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू. धान रोपाई चालू.	3. कम वर्षा होने से फसलें प्रभावित. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	22.0				
2. गोटेगांव	22.0				
3. करेली	9.0				
4. गाडरवारा	46.0				
5. तेंदूखेड़ा	71.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	81.4				
2. नैनपुर	25.3				
3. बिछिया	75.1				
4. निवास	29.0				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	34.0				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, मक्का, सोयाबीन, उड़द की बोनी चालू. धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	41.2				
2. शाहपुरा	58.7				
3. बजाग	50.6				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	6.8				
2. तामिया	75.0				
3. परासिया	24.0				
4. जुन्नारदेव	32.6				
5. साँसर	9.0				
6. बिछुआ	7.4				
7. अमरवाड़ा	5.2				
8. चौरई	6.6				
9. उमरेठ	14.4				
10. मोहखेड़ा	1.0				
11. हरई	17.1				
12. चांद	..				
13. पांडुर्णा	21.0				
14. जामई	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी कार्य चालू, धान रोपाई के कार्य चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	34.2				
2. बरघाट	19.1				
3. कुरई	5.0				
4. कंवलारी	2.6				
5. लखनादोन	7.0				
6. छपारा	1.3				
7. घनोरा	1.5				
8. घंसोर	1.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	160.6				
2. लाँजी	75.4				
3. किरनापुर	41.8				
4. बैहर	43.0				
5. वारासिवनी	27.5				
6. कटंगी	40.4				
7. लालबर्गा	140.0				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	27.2				
10. बिरसा	57.8				
11. खैरलांजी	57.7				

टीप :- *जिला भिण्ड, रतलाम, आगर, बैतूल से प्रतिवेदन अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(66)